इकाई-1 (ख) : भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

50 अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान

(भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी, हदबंदी, कृषि-श्रमिक, कृषि में निविष्टियाँ)

अभ्यास

❖ **बहुविकल्पीय प्रश्न**

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के लिए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या- 504 का अवलोकन कीजिए।

❖ **अतिलघुउत्तरीय प्रश्न**

अतिलघुउत्तरीय प्रश्नोत्तर के लिए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या- 504 व 505 का अवलोकन कीजिए।

❖ **लघुउत्तरीय प्रश्न**

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के कोई तीन महत्व लिखिए।

उ०– भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के तीन महत्व निम्नलिखित हैं–

(i) **राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत–** भारत के 65% लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषि भारत की राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है, जो राष्ट्रीय आय का 14% प्रदान करती है।

(ii) **रोजगार का प्रमुख साधन–** कृषि भारत में रोजगार देने वाला प्रमुख साधन है। देश की 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय से रोजगार पाती है।

(iii) **उद्योगों के विकास का आधार–** कृषि उत्पादों का प्रयोग लघु, कुटीर एवं बड़े विनिर्माण उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यह चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, जूट उद्योग, चाय तथा कॉफी उद्योग, रबड़ उद्योग तथा रेशम उद्योग को कच्चे माल देकर उनका पोषण करती है।

2. भारत में किए जा रहे भूमि सुधार कार्यक्रमों के नाम लिखिए।

उ०– भारत में किए जा रहे भूमि सुधार कार्यक्रमों के नाम निम्नलिखित हैं–

(i) जमींदारी उन्मूलन
(ii) भूमि जोतों की हदबंदी
(iii) जोतों की चकबंदी
(iv) काश्तकारी व्यवस्था में सुधार

3. भूमि सुधार कार्यक्रम क्या हैं? उनके दो उद्देश्य लिखिए।

उ०– **भूमि सुधार कार्यक्रम–** भूमि सुधार कार्यक्रम से आशय भूमि के स्वामित्व एवं कृषि क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों को दूर करने से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, "भूमि सुधार उन संस्थागत परिवर्तनों से जुड़ा है, जिनमें भूमि का स्वामित्व कृषकों को

सौंपना तथा कृषि प्रणाली में व्याप्त दोषों को दूर करना है।" भूमि सुधार कार्यक्रम भूमि प्रबंधन के साथ-साथ कृषि प्रणाली में सुधारों से भी जुड़ा है।

प्रो० गुन्नार मिर्डल ने भूमि सुधार को इन शब्दों में परिभाषित किया है, "भूमि सुधार से आशय व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन और संस्थागत पुनर्गठन से है।" भूमि सुधार कार्यक्रमों का लक्ष्य मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि जोतों की सुरक्षा चकबंदी, जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, सहकारी खेती तथा कृषि व्यवस्था में आमूलचूल सुधार लाना है।

भूमि सुधार कार्यक्रमों के दो उद्देश्य निम्नलिखित है।

(i) भूस्वामित्व व्यवस्था को कानूनी रूप से चुस्त बनाना।

(ii) भूमि के दोषों और कृषि व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करना।

4. चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी के दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

उ०— **जोतों की चकबंदी—** भारत में कृषि जोतें छोटी और दूर-दूर छिटकी हुई थीं। अलग-अलग व दूर-दूर खेतों में कृषि व उसकी देखभाल करने में समय और श्रम की अनावश्क बर्बादी थी। सरकार ने इससे छुटकारा पाने का जो उपाय खोज निकाला, उसे चकबंदी नाम दिया गया। चकबंदी के माध्यम से दूर-दूर बिखरे खेत, एक विशाल चक में बदल दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, "चकबंदी उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके द्वारा कृषकों की दूर-दूर बिखरी अनार्थिक जोतों को एक विशाल चक में बदल दिया जाता है।" चकबंदी एक ऐसी अनूठी तकनीक है, जो एक परिवार की छोटी-छोटी जोतों के टुकड़ों को एक विशाल खेत में बदल देती है।

चकबंदी के दो रूप हैं— एच्छिक चकबंदी तथा अनिवार्य चकबंदी। कृषक की इच्छा होने पर की जाने वाली चकबंदी ऐच्छिक चकबंदी कही जाती है, जबकि अनिवार्य रूप से लागू की गई चकबंदी की प्रक्रिया अनिवार्य चकबंदी कही जाती है। भारत में अब तक 600 हेक्टेयर भूमि की चकबंदी की जा चुकी है। पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में चकबंदी का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका 90% कार्य पूरा हो चुका है।

5. कृषि-श्रमिक किसे कहते हैं? कृषि-श्रमिकों की दो समस्याएँ लिखिए।

उ०— **कृषि-श्रमिक—** दूसरे किसानों के खेतों में श्रम बेचकर मजदूरी पाने वाला व्यक्ति कृषि-श्रमिक के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों, "वह व्यक्ति जो कृषि क्षेत्र में श्रमिक का कार्य कर आजीविका कमाता है, कृषि-श्रमिक कहलाता है। कृषि-श्रमिक दो प्रकार के होते हैं। पहले वे, जिनके पास भूमि का छोटा-सा टुकड़ा होता है, जिसमें वे साल के कुछ माह खेती करते हैं तथा शेष समय दूसरे किसानों के खेतों में श्रमिक का कार्य करते हैं। दूसरे वे, जिनके पास भूमि नहीं होती। ऐसे भूमिहीन श्रमिक सालभर दूसरों के खेतों में श्रम बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। कृषि जाँच समिति ने कृषि-श्रमिक को इन शब्दों में परिभाषित किया है, "कृषि-श्रमिक वह व्यक्ति है, जो वर्ष पर्यंत अपने कार्य के समस्त दिनों में आधे से अधिक दिन किराए के श्रमिक के रूप में कृषि कार्यों में लगा रहता है।" 2011 ई० की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि-श्रमिकों की संख्या 9.7 करोड़ है।

भारतीय कृषि-श्रमिकों की समस्याएँ— भारतीय कृषि-श्रमिक अनेक कठिनाइयों से ग्रसित हैं। उनकी मुख्य दो समस्याएँ निम्न हैं—

(i) मौसमी व्यवसाय— कृषि-श्रमिकों की मुख्य समस्या यह है कि उन्हें केवल फसल के मौसम में ही रोजगार मिल पाता है, मौसमी रोजगार के कारण वर्ष के शेष समय में वे बेरोजगार बने रहते हैं।

(ii) कम मजदूरी— कृषि क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। अत: उसमें मजदूरी की दर कम है, कृषि-श्रमिकों को कम मजदूरी की समस्या को झेलना पड़ता है।

6. कृषि-श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए तीन उपाय सुझाइए।

उ०— **कृषि-श्रमिकों की समस्याओं के निवारण के उपाय—** कृषि-श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए उनकी समस्याओं का उचित निवारण खोजना आवश्यक है। श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं—

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन— 1948 ई० में श्रमिकों के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था, किंतु इस अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। उसका कठोरता से पालन करके कृषि-श्रमिकों की समस्या का हल किया जा सकता है।

(ii) कुटीर उद्योग-धंधों का विकास– ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप कुटीर उद्योग-धंधों का विकास कर कृषि-श्रमिकों की बेरोजगारी और निर्धनता की समस्याओं का हल खोजा जा सकता है।

(iii) कार्य के घंटों का निर्धारण– कृषि-श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे निश्चित कर दिए जाने चाहिए। उन्हें अतिरिक्त समय में काम करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी मिलनी चाहिए, जिससे उनमें शारीरिक क्षमता का विकास हो सके।

7. जमींदारी उन्मूलन क्या है? इसके दो लाभों का उल्लेख कीजिए।

उ०– **जमींदारी उन्मूलन–** स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत की कृषि जमींदारों के चंगुल में फँसी थी। जमींदार सरकार और किसानों का वह मध्यस्थ था, जो कृषकों को मनमाने ढंग से भूमि देकर, मनमाना लगान वसूलता था। जमींदार सरकार को थोड़ा-सा लगान देकर, किसानों से मनमाना लगान वसूलता, साथ ही उन्हें बेगार करने के लिए भी विवश करता था। जमींदारी प्रथा अन्याय और शोषण के स्तंभों पर खड़ी थी। इस अन्यायी प्रथा के नीचे दबा भारतीय कृषक बेबसी और गरीबी के बोझ में दबा दयनीय जीवन जी रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कृषकों के इन दु:खों को गंभीरता से अनुभव करते हुए 1952 ई० में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करके भारतीय कृषकों को मध्यस्थों के चंगुल से स्वतंत्र कर दिया। जमींदारी उन्मूलन के कारण लगभग 2.5 करोड़ किसान भूस्वामी बन गए। भारत भले ही 1947 ई० में स्वतंत्र हुआ हो, परंतु भारतीय कृषकों को पूर्ण स्वतंत्रता का स्वाद 1952 ई० में ही चखने को मिला।

जमींदारी उन्मूलन के लाभ– जमींदारी उन्मूलन से दो लाभ निम्नलिखित हैं–

(i) मध्यस्थों का अंत– भारत सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के द्वारा भारतीय कृषकों का खून चूसने वाले मध्यस्थों (जमींदारों) का सफाया करके जमीन का स्वामी उन कृषकों को बना दिया, जो उस पर खेती करते आ रहे थे।

(ii) अन्याय और शोषण की समाप्ति– जमींदारी उन्मूलन ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर भारतीय कृषकों को उनके अन्याय और शोषण से मुक्ति दिला दी।

8. चकबंदी के कोई तीन महत्व बताइए।

उ०– चकबंदी के तीन महत्व निम्नलिखित हैं–

(i) चकबंदी ने अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों के रूप में विशाल चक में परिवर्तित कर दिया।

(ii) एक स्थान पर बने चक में खेती करने में समय और श्रम की बचत हुई है।

(iii) चकों में बड़े पैमाने की खेती का चलन बढ़ने से कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है।

9. कृषि-निविष्टि किसे कहते हैं? किन्हीं दो कृषि-निविष्टियों का महत्व बताइए।

उ०– **कृषि की निविष्टियाँ–** खेती करना उत्पादन की एक प्रक्रिया है, जिसमें अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। कृषि कार्य के लिए जिन-जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें कृषि की निविष्टियाँ कहा जाता है।

जैसे– तकनीकी ज्ञान, कृषि-यंत्र तथा उपकरण, श्रम, बीज, खाद तथा रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक, वित्त, भंडारा विपणन, फसल-बीम आदि। दो कृषि निविष्टियों का महत्व निम्नलिखित है–

दो कृषि निविष्टियों का महत्व निम्नलिखित है–

(i) कृषि-यंत्र एवं उपकरणों के बिना फसल उगाना असंभव है।

(ii) कृषि में उत्तम किस्म के बीच का प्रयोग अधिक और श्रेष्ठ कृषि उत्पादन के लिए अति आवश्यक है।

10. जोतों की हदबंदी क्या है? इसके दो लाभ लिखिए।

उ०– **भूमि जोतों की हदबंदी–** सरकार द्वारा कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था को भूमि जोतों की हदबंदी नाम दिया गया। सरकार जोतों की अधिकतम हदबंदी निश्चित करके, फालतू भूमि को स्वयं अधिगृहीत कर लेती है। अब तक 30 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके, उसे भूमिहीन लोगों में वितरित किया जा चुका है।

भूमि जोतों की हदबंदी के दो लाभ निम्नलिखित हैं–

(i) अतिरिक्त भूमि का सदुपयोग।

(ii) भूमि के असमान वितरण में कमी आना।

❖ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए।

उ०– **भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि–** भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ 70% लोग कृषि तथा कृषि से संबद्ध कार्यों में लगे हुए हैं। भारत को सुदृढ़ अर्थव्यवस्था देने तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त करने में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है–

(i) **राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत–** भारत के 65% लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषि भारत की राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो राष्ट्रीय आय का 14% प्रदान करती है।

(ii) **रोजगार का प्रमुख साधन–** कृषि भारत में रोजगार देने वाला प्रमुख साधन है। देश की 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय से रोजगार पाती है।

(iii) **उद्योगों के विकास का आधार–** कृषि उत्पादों का प्रयोग लघु, कुटीर एवं बड़े विनिर्माण उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यह चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, जूट उद्योग, चाय तथा कॉफी उद्योग, रबड़ उद्योग तथा रेशम उद्योग को कच्चे माल देकर उनका पोषण करती है।

(iv) **खाद्य पदार्थों की आपूर्ति–** कृषि देश की 125 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न, चीनी, चाय, खाद्य तेल, मसाले, दालें तथा सूखे मेवे देकर उसका पालन पोषण करती है।

(v) **पशुपालन उद्योग का विकास–** कृषि पशुओं को हरा चारा तथा पौष्टिक दाना देकर गाय, भैंस, बकरी तथा मुर्गीपालन आदि उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करती है। विश्व के सर्वाधिक पशु भारत में पाले जाते हैं। अत: दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में सभी देशों से आगे है।

(vi) **व्यापार को बढ़ावा–** कृषि उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार हैं। वर्ष 2011–12 में कृषि उत्पादों का निर्यात देश के कुल निर्यात का 12.4% था। कृषि उत्पादों का निर्यात भारत को पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कराता है।

(vii) **परिवहन व्यवस्था का पोषण–** ट्रक, मोटर, ट्रैक्टर तथा रेलगाड़ियों आदि परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा भारी मात्रा में खाद्यान्नों, विभिन्न कृषि उत्पादों, कृषि यंत्रों, कीटनाशकों, रासायनिक खाद आदि की ढुलाई की जाती है, जिससे परिवहन के साधनों की आय बढ़ने से परिवहन व्यवस्था का विकास होता है।

(viii) **लोकवित्त में योगदान–** मालगुजारी, कृषि उत्पाद शुल्क, कृषि आयकर, संपत्ति कर तथा सिंचाई कर के रूप में कृषि लोकवित्त के संवर्द्धन में अपना योगदान करती है।

(ix) **आर्थिक विकास में सहभागिता–** भारतीय कृषि रोजगार, कच्चे माल, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा संचार-तंत्र को विकसित करके राष्ट्र के आर्थिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाती है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण है। कृषि का विकास ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार है। सरकार और भारत के जन-जन को कृषि विकास के इस महायज्ञ में अपने सहयोग और श्रम की आहूति देनी चाहिए।

2. भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है? भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।

उ०– **भूमि सुधार कार्यक्रम का अर्थ–** भूमि सुधार कार्यक्रम से आशय भूमि के स्वामित्व एवं कृषि क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों को दूर करने से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, "भूमि सुधार उन संस्थागत परिवर्तनों से जुड़ा है, जिनमें भूमि का स्वामित्व कृषकों को सौंपना तथा कृषि प्रणाली में व्याप्त दोषों को दूर करना है।" भूमि सुधार कार्यक्रम भूमि प्रबंधन के साथ-साथ कृषि प्रणाली में सुधारों से भी जुड़ा है।

प्रो० गुन्नार मिर्डल ने भूमि सुधार को इन शब्दों में परिभाषित किया है, "भूमि सुधार से आशय व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन और संस्थागत पुनर्गठन से है।" भूमि सुधार कार्यक्रमों का लक्ष्य मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि जोतों की सुरक्षा चकबंदी, जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, सहकारी खेती तथा कृषि व्यवस्था में आमूलचूल सुधार लाना है।

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम– भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि सदियों से दीनता का दंश झेलती आ रही थी। अत: कृषि व्यवस्था को पारंपरिक कठिनाइयों से मुक्त बनाकर प्रगतिशील तथा आधुनिकता के पथ पर आगे बढ़ाने के

लिए भारत में निम्नलिखित भूमि सुधार कार्यक्रम आयोजित किए गए–

(i) **जमींदारी उन्मूलन–** स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत की कृषि जमींदारों के चंगुल में फँसी थी। जमींदार सरकार और किसानों का वह मध्यस्थ था, जो कृषकों को मनमाने ढंग से भूमि देकर, मनमाना लगान वसूलता था। जमींदार सरकार को थोड़ा-सा लगान देकर, किसानों से मनमाना लगान वसूलता, साथ ही उन्हें बेगार करने के लिए भी विवश करता था। जमींदारी प्रथा अन्याय और शोषण के स्तंभों पर खड़ी थी। इस अन्यायी प्रथा के नीचे दबा भारतीय कृषक बेबसी और गरीबी के बोझ में दबा दयनीय जीवन जी रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कृषकों के इन दु:खों को गंभीरता से अनुभव करते हुए 1952 ई० में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करके भारतीय कृषकों को मध्यस्थों के चंगुल से स्वतंत्र कर दिया। जमींदारी उन्मूलन के कारण लगभग 2.5 करोड़ किसान भूस्वामी बन गए। भारत भले ही 1947 ई० में स्वतंत्र हुआ हो, परंतु भारतीय कृषकों को पूर्ण स्वतंत्रता का स्वाद 1952 ई० में ही चखने को मिला।

जमींदारी उन्मूलन के लाभ– जमींदारी उन्मूलन से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए–

(क) **मध्यस्थों का अंत–** भारत सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के द्वारा भारतीय कृषकों का खून चूसने वाले मध्यस्थों (जमींदारों) का सफाया करके जमीन का स्वामी उन कषकों को बना दिया, जो उस पर खेती करते आ रहे थे।

(ख) **अन्याय और शोषण की समाप्ति–** जमींदारी उन्मूलन ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर भारतीय कृषकों को उनके अन्याय और शोषण से मुक्ति दिला दी।

(ग) **कृषि में गुणात्मक सुधार–** जमींदारी प्रथा का अंत कृषकों को भूस्वामी बना गया। भूपति बनकर कृषक ने अपने खेतों में यत्न और लगन से कृषि कार्य करके कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया।

(घ) **अर्थव्यवस्था में सुधार–** कृषि उत्पादन बढ़ने से प्रतिव्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बढ़ जाने से देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ बन गई।

(ङ) **भूमिहीन कृषकों की दशा में सुधार–** जमींदारी प्रथा समाप्त होने का सर्वाधिक लाभ भूमिहीन कृषकों को मिला। उन्हें कृषि करने के लिए भूखंड प्राप्त होने से वे श्रमिक से कृषक बन गए।

(च) **भू-राजस्व में वृद्धि–** जमींदारों के बीच से हट जाने के बाद कृषक भू-राजस्व सीधा सरकार को देने लगे। अत: अधिक राजस्व मिलने से राजकोष संपन्न हो गया।

(छ) **कृषकों का सर्वांगीण विकास–** जमींदारी उन्मूलन ने कृषकों को भूपति बनाकर, उनके सर्वांगीण विकास के द्वार खोल दिए। उनकी आय, आवास व्यवस्था तथा जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार आ गया।

(ज) **भूमि सुधार कार्यक्रमों को गति–** जमींदारों के हट जाने से सरकार के लिए चकबंदी, भूमिजोतों की हदबंदी सहकारी खेती आदि कार्यक्रम संचालित कराना सुगम हो गया।

(ii) **भूमि जोतों की हदबंदी–** सरकार द्वारा कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था को भूमि जोतों की हदबंदी नाम दिया गया। सरकार जोतों की अधिकतम हदबंदी निश्चित करके, फालतू भूमि को स्वयं अधिगृहीत कर लेती है। अब तक 30 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके, उसे भूमिहीन लोगों में वितरित किया जा चुका है।

भूमि जोतों की हदबंदी के लाभ– भूमि जोतों की हदबंदी से निम्नलिखित लाभ हुए–

(क) अतिरिक्त भूमि का सदुपयोग।

(ख) भूमि के असमान वितरण में कमी आना।

(ग) भूमिहीन लोगों को भूमि की प्राप्ति होना।

(घ) कृषि उत्पादन बढ़ जाना।

(ङ) बेरोजगार लोगों का कृषि व्यवसाय से जुड़ जाना।

(च) आर्थिक विषमता में कमी आना।

(छ) चकबंदी कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलना।

(ज) प्रतिव्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना।

(iii) जोतों की चकबंदी– भारत में कृषि जोतें छोटी और दूर-दूर छिटकी हुई थीं। अलग-अलग व दूर-दूर खेतों में कृषि व उसकी देखभाल करने में समय और श्रम की अनावश्यक बर्बादी थी। सरकार ने इससे छुटकारा पाने का जो उपाय खोज निकाला, उसे चकबंदी नाम दिया गया। चकबंदी के माध्यम से दूर-दूर बिखरे खेत, एक विशाल चक में बदल दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, "चकबंदी उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके द्वारा कृषकों की दूर-दूर बिखरी अनार्थिक जोतों को एक विशाल चक में बदल दिया जाता है।" चकबंदी एक ऐसी अनूठी तकनीक है, जो एक परिवार की छोटी-छोटी जोतों के टुकड़ों को एक विशाल खेत में बदल देती है।

चकबंदी के दो रूप हैं– एच्छिक चकबंदी तथा अनिवार्य चकबंदी। कृषक की इच्छा होने पर की जाने वाली चकबंदी ऐच्छिक चकबंदी कही जाती है, जबकि अनिवार्य रूप से लागू की गई चकबंदी की प्रक्रिया अनिवार्य चकबंदी कही जाती है। भारत में अब तक 600 हेक्टेयर भूमि की चकबंदी की जा चुकी है। पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में चकबंदी का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका 90% कार्य पूरा हो चुका है।

चकबंदी के लाभ– खेतों की चकबंदी होने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं–

(क) चकबंदी ने अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों के रूप में विशाल चक में परिवर्तित कर दिया है।

(ख) एक स्थान पर बने चक में खेती करने में समय और श्रम की बचत हो गई है।

(ग) बड़े चक में सिंचाई की सुविधाएँ जुटाना, फसलों की चौकसी करना तथा मशीनों से खेती करना संभव और सुगम बन गया है।

(घ) चकों में बड़े पैमाने की खेती का चलन बढ़ने से कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ गया है।

(ङ) कृषि उत्पादकता और कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से कृषकों तथा राष्ट्र की आय बढ़ गई है।

(च) कृषकों की आय बढ़ने से उनके रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो गया है।

चकबंदी कृषि व्यवसाय और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वह प्राकृतिक वरदान बन गई है, जिसने समूचे राष्ट्र में संपन्नता और समृद्धि के बीच बो दिए हैं। चकबंदी के मार्ग में आने वाली कतिपय बाधाएँ उसकी सफलता को धूमिल करना चाहती हैं परंतु जागरुक सरकार उन्हें शीघ्र दूर कर चकबंदी की सफलता के मार्ग को निष्कंटक बनाने में जुटी हुई है।

(iv) काश्तकारी व्यवस्था में सुधार– सरकार ने कृषि क्षेत्र को अधिक विकसित और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से काश्तकारी व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए हैं–

(क) लगान का नियमन– कृषकों का आर्थिक भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने लगान की राशि निश्चित कर दी। अब किसी भी राज्य में लगान 2.5% से अधिक नहीं लिया जाएगा।

(ख) भूस्वामित्व की सुरक्षा– सरकार ने कृषकों तथा पट्टेदारों को भूमि संबंधी स्थायी अधिकार दे दिए हैं।

3. भारत में भूमि सुधार तथा उत्पादन वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।

उ०– **भारत में भूमि सुधार के लिए किए गए प्रयास–** इसके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या- 1 के उत्तर का अवलोकन कीजिए।

भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास– भारत सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बहुमुखी प्रयास किए हैं। इन प्रयासों की अपनी महत्ता है, जो निम्नवत् हैं–

(i) सिंचाई और जल संसाधन– भारत सरकार सिंचाई की क्षमता को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वर्ष 1999-2000 तक देश की सृजित सिंचाई क्षमता 94.7 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ गई है जो अंतिम सिंचाई-क्षमता का लगभग 68% है। अभी सृजित क्षमता से लगभग 62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की हम सिंचित कर पा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि सृजित क्षमता और उसके उपयोग के बीच के अंतर को पूरा किया जाए।

(ii) बीज- कृषि में प्रति एकड़ उच्च्च उत्पादकता के लिए अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बीज नीति, किसानों को बीज की श्रेष्ठ किस्में और पौधारोपण की सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रदान कीती है। वर्ष 2001-2002 में 10,996 हजार क्विण्टल प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किया गया था।

(iii) उर्वरक– पिछले वर्षों से उर्वरक (एन०पी०के०) की खपत में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1999-2000 में इसकी

खपत 18.07 मिलियन टल थी जो वर्ष 2000-01 में देश के कई भांगों में सूखें के कारण घटकर 16.7 मिलियन टन रह गई थी। वर्ष 2001-02 में खपत 19.03 मिलियन टन तक पुहँच गई है। उर्वरकों पर सरकार अनुदान दे रही है, जिससे किसान लोग अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें।

(iv) कृषि यांत्रिकीकरण– पिछले दस वर्षों के दौरान (1991-2001) देश में लगभग 2.05 मिलियन ट्रैक्टर और 11,700 विद्युत टिलर बेचे गये। 2000-01 में देश में लगभग 2,54,825 ट्रैक्टर बेचे गए, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे था।

इससे स्पष्ट है कि कृषि में अब पशु-शक्ति का योगदान घटता जा रहा है। वर्ष 1971 के 43.03% से घटकर अब यह 9.89% ही रह गया है। सिंचाई और फसल काटने तथा गाहने के प्रचालनों में भी पर्याप्त यांत्रिकीकरण की ओर प्रगति की गई है। सरकार कम ब्याज दर पर किसानों को यंत्र उपलब्ध करा रही है।

(v) कृषि ऋण का प्रवाह– कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए संस्थागत ऋण का प्रवाह वर्ष 2001-02 में ₹ 66.771 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गई। इस योजना ने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और 27 वाणिज्यिक बैंकों, 373 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और 196 ग्रामीण बैंको द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। 30 नवंबर, 2001 ई० की स्थिति के अनुसार 20.4 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड, जिनमें ₹ 43,392 करोड़ की ऋण मंजूरियाँ सम्मिलित हैं, जारी किए गए थे। देश में 31 मार्च, 2011 तक बैंक द्वारा ₹ 1038 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के लिए ₹ 50,000 तथा ₹ 2,50,000 के व्यक्तिगत बीमा कवच को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

(vi) कृषि- बीमा– किसानों के हित और कृषि को एक व्यवसाय का रूप प्रदान करने की दिशा में **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना** सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। यह योजना रबी मौसम वर्ष 1999-2000 से देश में आरंभ की जाएगी।

(vii) शिक्षण-प्रशिक्षण– देश में कृषि शिक्षण के लिए 21 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। **'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्'** भी इस ओर प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त रेडियो तथा दूरदर्शन पर भी प्रतिदिन कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं।

देश में कृषि एवं सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों की घोषणा की गई–

(i) कृषि उपजों के भावी बाजार को सुदृढ़ करना।

(ii) कृषि क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

(iii) कृषि सहकारिता के संबंध में राष्ट्रीय नीति में सुधार करना।

(iv) कृषिगत निर्यातों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सरकार देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत के कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत कुछ कृषि उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो पाया है, वरन् वह निर्यात करने की स्थिति में भी पहुँच गया है।

4. भारत में किए जा रहे भूमि सुधारों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए–

(क) जमींदारी उन्मूलन (ख) चकबंदी (ग) हदबंदी

उ०– उत्तर के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या- 1 के उत्तर का अवलोकन कीजिए।

5. कृषि-श्रमिक से क्या तात्पर्य है? कृषि-श्रमिकों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु कोई चार सुझाव दीजिए।

उ०– कृषि श्रमिक– इसके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या-5 के उत्तर का अवलोकन कीजिए।

कृषि-श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु किए गए सरकारी प्रयास– भारत सरकार ने कृषि-श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। उसने कृषि-श्रमिकों की समस्याओं और दीन-हीन दशा को सुधारने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं–

(i) भारत सरकार ने 1948 ई० में पारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू किया है, जिसमें कृषि-श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दर निश्चित की गई है।

(ii) 1952 ई० में संत विनोबा भावे ने 'भूदान आंदोलन' चलाया। उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने जमींदारी उन्मूलन तथा कृषि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित करके फालतू भूमि को तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर भूमिहीन कृषकों में वितरित किया।

(iii) सरकार ने 1976 ई० में बँधुवा श्रमिक उन्मूलन अधिनियम पारित करके बँधुवा मजदूरी प्रथा का अंत कर दिया।

(iv) सरकार ने भूमिहीन कृषि-श्रमिकों के लिए सस्ते आवासों की समुचित व्यवस्था कराई।

(v) सरकार ने 1975 ई० में ऋण मुक्ति अधिनियम पारित कर कृषि-श्रमिकों को साहूकारों के शोषण से मुक्त कराया।

(vi) सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया, जिसे 2000 ई० में 'स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना' में मिलाकर श्रमिक-विकास के द्वार खोल दिए।

(vii) सरकार द्वारा 1977-78 ई० में 'अंत्योदय अन्न कार्यक्रम', 1980 ई० में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' 1983 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम', 1983 में 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम', 1989 ई० में 'जवाहर रोजगार कार्यक्रम', 2 अक्टूबर, 1993 ई० में 'रोजगार आश्वासन योजना', 1 अप्रैल, 1999 ई० में 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' एवं 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना', 2001 ई० में 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना', 2 फरवरी, 2006 ई० में 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' प्रारंभ की गई। इसका शुभारंभ सर्वप्रथम आंध्रप्रदेश में किया गया, जिसमें आवेदन मिलने पर सरकार द्वारा 15 दिन में आवेदक को रोजगार दिलाने की व्यवस्था है। बाद में इस योजना को 1 अप्रैल, 2008 ई० से समस्त देश में लागू कर दिया गया।

सरकार ने श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना चलाकर कृषि सेवा समितियों तथा कृषि श्रमिक संघों की स्थापना करवाकर कृषि-श्रमिकों की दशा सुधारने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं।

6. भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा कोई दो कार्यक्रम बताइए।

उ०– **भूमि सुधार कार्यक्रमों के उद्देश्य–** निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए–

(i) भूस्वामित्व व्यवस्था को कानूनी रूप से चुस्त बनाना।

(ii) भूमि के दोषों और कृषि व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करना।

(iii) कृषि उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाना।

(iv) लघु कृषक परिवारों, भूमिहीन कृषि-श्रमिकों तथा कृषकों की समस्याओं का निराकरण करना।

(v) कृषि को व्यवसाय का रूप देकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।

भूमि सुधार कार्यक्रम- इसके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या- 1 के उत्तर का अवलोकन कीजिए।

7. कृषि-निविष्टियों से क्या तात्पर्य है? भारतीय कृषि निविष्टियों की विस्तृत विवेचना कीजिए।

उ०– **कृषि की निविष्टियाँ–** खेती करना उत्पादन की एक प्रक्रिया है, जिसमें अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। कृषि कार्य के लिए जिन-जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें कृषि की निविष्टियाँ कहा जाता है। कृषि की प्रमुख निविष्टियाँ निम्नलिखित हैं–

(i) तकनीकी ज्ञान– उत्तम ढंग से कृषि करने के लिए कृषक को कृषि की नवीनतम तकनीक तथा प्रविधि का ज्ञान होना आवश्यक है, इनके अभाव में कृषि व्यवसाय और कृषक दोनों असफल रह जाएँगे।

(ii) कृषि-यंत्र तथा उपकरण– कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कृषि-यंत्र तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर, नलकूप, सीडड्रिल तथा थ्रेशर कृषि की प्रमुख निविष्टियाँ बन गई हैं।

(iii) श्रम– कृषि कार्य करने के लिए कृषक को अपने श्रम के अतिरिक्त भाड़े का श्रम भी लेना पड़ता है। बिना श्रम के कृषि कार्य करना असंभव है। अत: श्रम कृषि की महत्वपूर्ण निविष्टि है।

(iv) बीज– उन्नत तथा लाभप्रद खेती करने के लिए उन्नतशील बीजों की आवश्यकता है। बीज जितने उन्नत किस्म के होंगे, कृषि उत्पादन उतना ही अधिक और श्रेष्ठ होगा। अत: बीज कृषि की एक महत्वपूर्ण निविष्टि है।

(v) **खाद तथा रासायनिक उर्वरक–** भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए कंपोस्ट तथा जैविक खाद एवं पौधों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार खाद तथा रासायनिक उर्वरक कृषि की महत्वपूर्ण निविष्टि हैं।

(vi) **सिंचाई–** जल पौधों के जीवन का आधार है। वर्षा न होने की स्थिति में फसलों को चौपट होने से बचाने का एक मात्र उपाय है, उन्हें सींचना। अत: सिंचाई व्यवस्था भी कृषि की प्रमुख निविष्टि है।

(vii) **कीटनाशक–** फसल में लगने वाले रोग और कीड़े हरी-भरी फसलों को चौपट कर डालते हैं। अत: उन पर कीटनाशकों का छिड़काव करके, उन्हें बचाया जाता है। वर्तमान समय में कीटनाशक पदार्थ भी कृषि-निविष्टि की सूची में जुड़ गए हैं।

(viii) **वित्त–** कृषि जैसे-जैसे व्यवसाय का रूप लेती जा रही है, वित्त उसकी आवश्यकता बनता जा रहा है। सहकारी समितियाँ, साहूकार, व्यावसायिक बैंक तथा कृषि-साख समितियाँ किसानों को बीज, खाद, कृषि-यंत्रों आदि के लिए ऋण देते हैं। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई तथा यंत्रों को सुलभ कराने में वित्त एक महत्वपूर्ण कृषि-निविष्टि बनकर उभरा है।

(ix) **भंडारण–** कृषि उपजों को मौसम, नमी तथा कीड़ों से बचाने और भावी विक्रय तथा उपयोग के लिए उनका वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करना होता है। आलू, फल तथा अन्य सब्जियों को शीत भंडारों में रखा जाता है। अत: भंडारण भी कृषि की महत्वपूर्ण निविष्टि बन गया है।

(x) **विपणन–** कृषि उपजों को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने तथा किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने की व्यवस्था का नाम है, विपणन। विपणन ही कृषि की वह निविष्टि है, जो कृषक को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बना सकती है।

(xi) **फसल-बीमा–** सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, फसलों के रोग तथा हानिकारक कीट कृषक की फसलों को नष्ट कर उसके श्रम और आय को चौपट कर सकते हैं। फसल-बीमा कृषकों को इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देता है। अत: फसल-बीमा भी एक महत्वपूर्ण कृषि-निविष्टि बन गया है।

8. कृषि उत्पादन बढ़ाने में किन्हीं पाँच कृषि-निविष्टियों का महत्व समझाइए।

उ०– उत्तर के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या-3 के उत्तर का अवलोकन कीजिए।

9. भूमि सुधार कार्यक्रम क्या है? भारत में भूमि सुधार की कमियों का उल्लेख कीजिए तथा इनकी सफलता हेतु सुझाव दीजिए।

उ०– **भूमि सुधार कार्यक्रम–** इसके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या- 2 के उत्तर का अवलोकन कीजिए।

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों की कमियाँ– निम्नलिखित कारणों से भारत में भूमि-सुधार कार्यक्रमों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है–

(i) भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम समन्वित रूप से लागू नहीं किए गए। अधिनियमों का क्रियान्वयन सदैव विलंब से हुआ।

(ii) भू-प्रलेखों को अद्यतन नहीं किया गया, जिससे छोटे किसान भूमि सुधार कार्यक्रमों के लाभों से वंचित हो गए।

(iii) जमीदारों ने भूमि का हस्तांतरण अवैधानिक ढंग से कर दिया, जिससे भू-जोतों की सीमा का निर्धारण (हदबंदी) उचित प्रकार से नहीं हो सका।

(iv) भूमि सुधारों के कारण अधिकतर भूस्वामियों में अनिश्चितता की भावना उत्पन्न हो गई।

(v) भारत में भूमि के स्वामित्व में संबंधित रिकार्ड अभी भी अधूरे हैं।

भूमि सुधार कार्यक्रमों की सफलता के सुझाव–

(i) भूमि सुधार संबंधी अधिनियम समन्वित रूप से सभी राज्यों में समान रूप से लागू किए जाने चाहिए।

(ii) संपूर्ण भारत में भूमि सुधारों के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।

(iii) भूस्वामित्व से संबंधित अभिलेखों को पूर्ण करके उनमें सुधार किए जाएँ।

(iv) भूमि सुधार संबंधी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए और उनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

❖ **प्रोजेक्ट कार्य**

अध्यापक की सहायता से विद्यार्थी स्वयं करें।